गृह मंत्रालय
सीमा प्रबंधन विभाग

******

<u>सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम</u>

गृह मंत्रालय स्थित सीमा प्रबंधन विभाग, सीमा प्रबंधन के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण के भाग के रूप में राज्य सरकारों के माध्यम से एक सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन करता रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के समीप स्थित सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों में रह रहे लोगों की विशेष विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करना तथा केन्द्र/राज्य/बीएडीपी/स्थानीय स्कीमों के अभिसरण और भागीदारी दृष्टिकोण के माध्यम से आवश्यक अवसंरचना द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों को संतृप्त करना है।

2. सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम का शुभारंभ, अवसंरचना के विकास के द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों का संतुलित विकास सुनिश्चित करने और सीमावर्ती आबादी के मध्य सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिमी क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में किया गया था। इस कार्यक्रम में अब 08 पूर्वोत्तर राज्यों (सिक्किम सहित) के 55 जिलों के 167 सीमावर्ती ब्लॉकों सहित, अंतर्राष्ट्रीय भू-सीमा पर स्थित 17 राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल के 111 सीमावर्ती जिलों के 394 सीमावर्ती ब्लॉक शामिल हैं। इस कार्यक्रम में प्राथमिकता सीमा के अपेक्षाकृत नजदीकी क्षेत्रों को दी जाती है।

3. बीएडीपी एक ओर सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना के अंतरालों को पाटने हेतु और दूसरी ओर सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा का वातावरण सुधारने के लिए राज्य योजना निधियों को अनुपूरित करने के द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास करने हेतु केन्द्र सरकार की एक महत्वपूर्ण मध्यस्थता कार्यनीति है।

4. बीएडीपी के अंतर्गत राज्यों को, विशेष विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने हेतु अवसंरचना, जीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा तथा सहायक सेक्टरों से जुड़ी परियोजनाओं के निष्पादन तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप स्थित सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों में रह रहे लोगों के बीच सुरक्षा एवं अच्छे रहन-सहन का भाव पैदा करने के लिए निधियां मुहैया करायी जाती हैं। यह कार्यक्रम संपूरक प्रकृति का है।

5. बजट में निधियां वार्षिक तौर पर आबंटित की जाती हैं। बजटीय आबंटन को दो घटकों में अर्थात् (i) पहला घटक, कुल आबंटन का 40% आठ पूर्वोत्तर राज्यों (सिक्किम सहित) के लिए; तथा (ii) दूसरा घटक, कुल आबंटन का 60%, आठ पूर्वोत्तर राज्यों से इतर राज्यों के लिए विभाजित किया जाएगा। राज्यों को निधियों का आबंटन (i) अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई (ii) सीमावर्ती ब्लॉकों की आबादी (iii) सीमावर्ती ब्लॉकों के क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता है तथा 15% का अधिमान (महत्व) पहाड़ी, रेगिस्तानी एवं कच्छ के रण के क्षेत्रों को दिया जाता है।

6. बीएडीपी एक महत्वपूर्ण केन्द्र प्रायोजित स्कीम है। बीएडीपी के वित्तपोषण का पैटर्न केन्द्र 90%: राज्य 10%, 08 पूर्वोत्तर राज्यों और 03 हिमालयी राज्यों अर्थात् हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तराखण्ड के लिए और सभी 6 अन्य राज्यों के लिए केन्द्र 60%: राज्य 40% है। नए वित्तपोषण पैटर्न को पिछले वित्तीय वर्ष 2016-17 से कार्यान्वित किया गया है।

7. बीएडीपी का और अधिक गुणतापूर्वक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने तथा सीमा के निकट अवस्थित गांवों में स्कीमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिशा-निर्देशों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 0 से 10 कि.मी. के भीतर आने वाले गांवों के विनिर्दिष्ट सामाजिक-आर्थिक तथा अवसंरचना विकास पर बल दिया गया है। गांवों को 0 से 10 कि.मी. रेखा पर एक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक गांव का ग्राम विकास प्रोफाइल तैयार किया जा रहा है। सभी मुख्य विकासात्मक अवसंरचना सुविधाएं जैसे पक्की सड़क कनेक्टिविटी, बिजली, शुद्ध पेयजल, टेलीफोन सुविधाएं, प्राथमिक विद्यालय भवन, पीडीएस दुकान तथा सामुदायिक केन्द्र आदि योजनाबद्ध ढंग से विकसित किए जा रहे हैं। 0-10 कि.मी. में अवस्थित गांवों की संतृप्ति (सैचूरेशन) के पश्चात् ही राज्य सरकारें 0 से 20 कि.मी. की दूरी

के भीतर अवस्थित गांवों की अगली खेप को उठाएगी। सीमा से 0 से 20 कि.मी. दूरी तक अवस्थित गांवों की संतृप्ति के पश्चात् 0 से 30 कि.मी. के भीतर आने वाले गांव और इसी प्रकार 0 से 50 कि.मी. के भीतर आने वाले गांवों में बीएडीपी के अंतर्गत स्कीमों को कार्यान्वयन किया जा सकता है। हवाई दूरी को ध्यान में रखा जाता है।

8. बीएडीपी के दिशानिर्देशों के अनुसार एक जिला स्तरीय समिति (डीएलसी), स्थानीय सांसद/विधायक पीआरआई, स्वायत्त निकायों के सदस्यों के साथ परामर्श करते हुए बीएडीपी की वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगी जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, अध्यक्ष तथा पुलिस अधीक्षक (एसपी), जिला वन अधिकारी (डीएफओ) जिला नियोजन अधिकारी (डीपीओ) तथा सीमा रक्षा बलों के कमांडेंट/उप कमांडेंट सदस्य के तौर पर विद्यमान होंगे। यह डीएलसी बीएडीपी के अंतर्गत निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग के लिए उत्तरदायी होगी।

9. बीएडीपी कोष का उपयोग सामान्यत: महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने तथा सीमावर्ती आबादी की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। बीएडीपी स्कीमों का नियोजन एवं कार्यान्वयन पंचायती राज संस्थानों/स्वायत्त परिषदों/अन्य स्थानीय निकायों/परिषदों के माध्यम से भागीदारिता एवं विकेन्द्रीकरण आधारित हैं।

बीएडीपी के अंतर्गत प्रारंभ की गई विशेष पहलें:

10. सामाजिक एवं आर्थिक अवसंरचनाओं के विकास, विकास में लोगों की भागीदारिता को प्रोत्साहित करने, लोगों के मन से विरक्ति एवं असुरक्षा की भावना दूर करने के उद्देश्य से निम्नलिखित विशेष पहलों की शुरुआत की गई है ताकि सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए अनुकूल परिस्थितियों का सृजन किया जा सके।

विशेष/विनिर्दिष्ट क्षेत्र संबंधी स्कीमें:

(i) आदर्श ग्राम: सीमा के निकट पांच-छह या अधिक गांवों से घिरा अधिक आबादी के कम से कम एक गांव का संयुक्त विकास।

(ii) स्वास्थ्य: डिस्पेंसरियों, आवश्यक पोर्टेबल उपकरणों से सुसज्जित मोबाइल डिस्पेंसरी/एम्बूलेंस का निर्माण।

(iii) जीविकोपार्जन: समुदाय आधारित अवसंरचनाएं जैसे पेस्चर लैंड, पशुधन के लिए शैड (केवल बीपीएल के लिए), मछलीपालन के तालाब, बहु-उपयोग सामुदायिक केन्द्र, मार्केटिंग यार्ड, लघु हाट, स्थानीय शिल्पकारों के लिए कुटीर/लघु पैमाने के उद्योग के लिए साझा औद्योगिक शैड, गौशाला से जुड़ी हुई छोटी कार्बानिक खाद इकाइयां।

(iv) जैविक खेती को प्रोत्साहन।

(v) पावर: सौर और लघु जलीय परियोजनाएं, जैव-गैस, जैव ईंधन गैसीकरण, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि जैसी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा।

(vi) पर्यटन: पर्यटन गेस्ट हाऊस, एडवेन्चर टूरिज्म सुविधाएं, पर्यटक स्थलों पर कैंटीन, पार्किंग, ग्रामीण पर्यटन के लिए जन सुविधाएं, पर्यटन और आतिथ्य आदि में कौशल प्रशिक्षण, विरासत स्थलों का संरक्षण इत्यादि।

(vii) स्वच्छ भारत अभियान: विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों आदि में विशेषकर महिलाओं के लिए शौचालयों का निर्माण।

(viii) विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर जैसे हिम-आच्छादित क्षेत्रों में खाद्यानों और चारे के लिए गोदाम।

(ix) ई-चौपाल, कृषि दुकानें आदि।

11. राज्यों से प्राप्त फीडबैक यह दर्शाता है कि बीएडीपी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सामान्य आर्थिक कार्यकलापों को शुरू करने के लिए अनुकूल परिवेश का निर्माण करने की दिशा में योगदान दिया है और उसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की क्षमता भी मौजूद हैं। सीमावर्ती इलाकों में

सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया से सीमा पर रहने वाले लोगों के बीच आत्मविश्वास और अपनेपन की भावना उत्पन्न हुई है।

12. वर्ष 2016-17 के लिए जारी की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**राज्य**	**आबंटन**	**जारी की गई निधियां**
1.	अरुणाचल प्रदेश	108.97	108.97
2.	असम	34.06	34.06
3.	बिहार	46.00	46.00
4.	गुजरात	38.00	38.00
5.	हिमाचल प्रदेश	31.00	31.00
6.	जम्मू एवं कश्मीर	190.39	190.39
7.	मणिपुर	30.77	30.77
8.	मेघालय	36.67	36.67
9.	मिजोरम	46.00	46.00
10.	नागालैंड	32.15	32.15
11.	पंजाब	27.98	27.98
12.	राजस्थान	123.72	123.72
13.	सिक्किम	25.00	25.00
14.	त्रिपुरा	70.89	70.89
15.	उत्तर प्रदेश	38.00	38.00
16.	उत्तराखण्ड	27.08	27.08
17.	पश्चिम बंगाल	108.32	108.32
	सकल योग	**1015.00****	**1015.00****

**** 25.00 करोड़ रुपये का अनुपूरक अनुदान शामिल है।**

*****